



# कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 178 112-1(1) दिनांक, देहरादून 22 जुलाई, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून में सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु 127.6712 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक- 2257/FP/UK/WATER/40701/2019 दिनांक-28.02.2020।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर लगाई गई बिन्दुवार आपतियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 18/12-1/टी०सी० दिनांक 10.07.2020 से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है -

क्र.स.	आपत्ति	निस्तारण
1	ऑन-लाईन फॉर्म-A पार्ट 2 के क्रमांक 1 में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम सौंदणा की 2.813 हे० भूमि की वैधानिक स्थिति Revenue Forest अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव की हार्ड प्रति के पार्ट-2 के कॉलम 7 (v) में उक्त भूमि को (वन पंचायत) सिविल सोयम भूमि अंकित किया गया है। सही सूचना अंकित की जाये।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित आपत्ति मसूरी वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
2	प्रस्तावित परियोजना में कुल 8781 वृक्षों के प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें नाप भूमि में अवस्थित 313 वृक्षों को भी सम्मिलित किया गया है। कृपया ऑन-लाईन फॉर्म-A पार्ट 2 में केवल वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अंकित की जाये।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित आपत्ति मसूरी वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
3	ऑन-लाईन/ऑफ लाईन फॉर्म-A पार्ट 1 में अपलोड/संलग्न किया गया लागत-लाभ विश्लेषण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं है। इसके अतिरिक्त परियोजना से प्राप्त होने वाले राजस्व के विवरण में अन्तर के साथ ही कतिपय अन्य गणनायें भी त्रुटिपूर्ण है। कृपया भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लागत-लाभ विश्लेषण ऑन-लाईन अपलोड करते हुये हार्ड कॉपी में भी संशोधित लागत-लाभ विश्लेषण प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न किया जाये।	वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर संलग्न करते हुए अपलोड कर दी गई है।
4	मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व स्थल न होने का प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।	वांछित सूचना अपलोड कर दी गई है।
5	परियोजना को वन भूमि में स्थापित किये जाने का औचित्य तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पेयजल की आपूर्ति किया जाना है, जबकि Justification में ग्रामीणों की उपज को मण्डी तक पहुंचने, आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना एवं रोजगार उपलब्ध कराने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।	Geographical and hydrological feasibility के अनुसार उक्त स्थल ही एकमात्र उपयुक्त स्थल है, जहाँ पर 150 MLD की जलापूर्ति हेतु बाँध का निर्माण किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप लगभग 19 लाख की आबादी लाभान्वित होगी तथा उक्त योजना के निर्माण के फलस्वरूप नये नलकूपों की आवश्यकता में कमी तथा उनके संचालन में होने वाले भारी विद्युत व्यय व रख-रखाव के व्यय में कमी आयेगी।

		<p>देहरादून शहर के शहरीकरण के कारण विगत वर्षों में भूजल स्तर में आयी गिरावट को सुधारने में परियोजना का बहुमूल्य योगदान होगा।</p> <p>देहरादून शहर की आबादी की वांछित आवश्यकता हेतु पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेंगी। अतः उक्त परियोजना देहरादून शहर में भारत सरकार की AMRUT जैसी योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी साथ ही परियोजना निर्माण से मत्स्य पालन, पर्यटन आदि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों तथा जलीय जीव-जन्तुओं के संरक्षण में भी योगदान होगा।</p>
6	<p>पार्ट 1 के बिन्दु H में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून/मसूरी वन प्रभाग एवं प्रयोक्ता एजेन्सी प्रतिवेदन/आख्या द्वारा संलग्न की जाये।</p>	<p>इस संबंध में अवगत कराना है कि पार्ट 1 के बिन्दु H में त्रुटिवश पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने का उल्लेख हो गया है, जिसे संशोधित कर दिया गया है। चूंकि यह परियोजना एक पेयजल परियोजना है एवं मात्र 5 है0 वन भूमि में Quarry (खनन क्षेत्र) की आवश्यकता है। SEIAA के अधिकारियों से हुयी वार्ता के अनुसार EIA की आवश्यकता Forest Case के In Principle 1<sup>st</sup> Stage Approval होने के बाद आवश्यक होगा। तदनुसार परियोजना के पर्यावरण की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार (SEIAA) में आवेदन किया जाएगा।</p>
7	<p>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के दस्तावेजों/अभिलेखों में फॉर्म-2 (for project other than linear) संलग्न नहीं किया गया है।</p>	<p>वांछित सूचना का प्रपत्र फॉर्म-2 में अपलोड कर दिया गया है।</p>
8	<p>ऑन-लाईन फॉर्म-A के Section L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि के Ownership Certificate एवं MoU में परस्पर विरोधाभास है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई है, किन्तु कतिपय खण्डों में भूमि की स्थिति आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश दर्शाई गयी है। सही सूचना अंकित की जाये।</p>	<p>बिन्दु संख्या 8 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में टिहरी बाँध परियोजना के पुनर्वास हेतु आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश एवं पशुपालन विभाग, ऋषिकेश की अधिग्रहित भूमि की एवज में नैनबाग तहसील के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित भूमि आवंटित की गई थी, चूंकि वर्तमान में टिहरी बाँध परियोजना के पुनर्वास हेतु आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश एवं पशुपालन विभाग, ऋषिकेश के प्रस्ताव निरस्त हो चुके हैं अतः उक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की भूमि का उपयोग सौंग बाँध पेयजल परियोजना हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में किया जाना प्रस्तावित है इस सम्बन्ध में तहसीलदार, नैनबाग का पत्र एवं साथ ही शासन स्तर से सहमति भी प्राप्त है। जो कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पृथक से उपलब्ध करा दिया जायेगा।</p>
9	<p>ऑन-लाईन/ऑफ लाईन उपलब्ध करायी गई हार्ड प्रति में फॉर्म-A पार्ट 2 में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में भिन्नता है। कृपया सही सूचना अंकित की जाये।</p>	<p>सम्बन्धित आपत्ति मसूरी वन प्रभाग से सम्बन्धित है।</p>
10	<p>ऑन-लाईन फॉर्म-A पार्ट 2 के बिन्दु संख्या 12 में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है।</p>	<p>इस सम्बन्ध में सूचना संशोधित कर ऑनलाईन पार्ट-2 में यथास्थान अंकित कर दी गयी है।</p>
11	<p>प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या (Site inspection report) मात्र 36.6034 है0 आरक्षित वन भूमि का ही उल्लेख किया गया है। सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार</p>	<p>इस सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण आख्या संशोधित कर दी गयी व तदनुसार प्रमाणिक एस0आई0आर0 ऑनलाईन पार्ट-2 के Additional Information में अपलोड कर दी गयी है।</p>

	प्रस्तावित परियोजना हेतु वन भूमि के अन्तर्गत 6.337 है० नाप भूमि, 20.1311 है० सिविल सोयम भूमि 7.89 है० जलमग्न भूमि एवं 36.6024 है० आरक्षित वन भूमि प्रस्तावित हो रही है। कृपया उपरोक्तानुसार संशोधित स्थल निरीक्षण आख्या ऑन-लाईन करते हुए प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न की जाये।	
12	ऑन-लाईन फॉर्म-A 1 के Section L में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापन न होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु ऑफ लाईन फॉर्म-A पार्ट 1 में परिवारों का विस्थापन होना अंकित किया गया है। अतः सही सूचना अंकित करते हुये परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवारों की पुनर्वास योजना संलग्न की जाये।	ऑन-लाईन फॉर्म-A 1 के Section L में त्रुटिवश परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापन न होने का उल्लेख किया गया है। फॉर्म-A 1 के Section L को संशोधित कर दिया गया है। Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act (RFCTLARR Act) की विभिन्न धाराओं के तहत पुनर्वास की कार्यवाही गतिमान है।
13	प्रस्तावित क्षेत्र के उपचार हेतु Competent authority (प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड) द्वारा अनुमोदित Cat Plan संलग्न किया जाये।	CAT Plan पूर्व में अपलोड किया जा चुका है।
14	प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्मित की जाने वाली सड़क में अत्यधिक हेयर पिन बैण्ड दृष्टिगोचर हो रहे हैं, भू-स्खलन की स्थिति में उत्पन्न कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में भू-वैज्ञानिक की संस्तुति/आख्या संलग्न की जाये।	परियोजना के लिए प्रस्तावित बांध निर्माण स्थल तक सड़क निर्माण में 07 किमी की लम्बाई में पूर्व निर्मित सड़क का मात्र चौड़ीकरण एवं शेष 03 किमी समतल भूमि में ही नवनिर्माण किया जाना है, जिसमें हेयर पिन बैण्ड आदि की सम्भावना नहीं है तथा इससे न ही कोई Flora एवं Fauna प्रभावित होगा एवं न ही कोई Geological Disturbance होगा।
15	प्रस्ताव में संलग्न Layout Plan में दिशा संकेतक प्रदर्शित नहीं किया गया है। कृपया दिशा संकेतक अंकित किया जाये।	संलग्नक ले-आउट प्लान में दिशा संकेतक प्रदर्शित कर दिया गया है।

अतः प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

( पी०के० प्रती )

वन संरक्षक

शिवालिक वृत्त, देहरादून।

01/2